रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 127] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 17, 2002/वैशाख 27, 1924
No. 127] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 17, 2002/VAISAKHA 27, 1924

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मई, 2002

जांच की शुरूआत (निर्णायक समीक्षा)

विषयः यू एस ए, आस्ट्रिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, चीन जनवादी गणराज्य और बेल्जियम से ग्रेफाइट इलैक्ट्रोड्स के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के संबध में निर्णायक समीक्षा शुरू करना ।

सं. 28/1/2001-डीजीएडी.— वर्ष 1995 में यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 तथा सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियम 1995 को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी ने दिनांक 9 जून 1997 की राजपत्र अधिसूचना सं. एडीडी/1 डब्ल्यू/43 द्वारा सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के अध्याय 85 के अंतर्गत आने वाले यू एस ए,आस्ट्रिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, चीन जनवादी गणराज्य और बेल्जियम से ग्रेफाइट इलैक्ट्रोड्स के आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाने और दिनांक 27 मार्च, 1998 की राजपत्र अधिसूचना सं. ए डी डी/1 डब्ल्यू/43 द्वारा निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी । भारत सरकार ने दिनांक 21.10.1997 की अधिसूचना संख्या 77/97 सीमाशुल्क के तहत अनन्तिम पाटनरोधी शुल्क लगाया था जिसकी पुष्टि दिनांक 5.5.1998 की अधिसूचना संख्या 20/98 सी.शु.के द्वारा की गई थी ।

2. **विचाराधीन उत्पाद**

वर्तमान जांच के क्षेत्र में आने वाले उत्पाद निम्नलिखित प्रकार के ग्रेफाइट इलैक्ट्रोड्स हैः-

अल्ट्रा हाइ पावर ग्रेड ग्रेफाइट इलैक्ट्रोड्स (यू एच पी इलैक्ट्रोड्स के रूप में उल्लिखित) नार्मल पावर ग्रेड ग्रेफाइट इलैक्ट्रोड्स, इसके विचरण सहित, हाइ पावर ग्रेड (एन पी जी इलैक्ट्रोड्स के रूप में उल्लिखित)

यू एच पी इलैट्रोड्स के विनिर्माण हेतु उत्पादन प्रक्रिया में कैल्सिंड पेट्रोलियम कोक (नीडल संरचना, जो नीडल कोक के नाम से लोकप्रिय है) कोल तार पिच और पेट्रोलियम पिच की प्राथमिक कच्ची सामग्री के रूप में आवश्यकता होती है । इस प्रक्रिया में शामिल हैं- आकार देना, सेकना, संसेचित करना, पुनः सेकना, ग्रेफिटाइजिंग और मशीनिंग । एन पी जी रेगुलर ग्रेड इलैक्ट्रोड्स की विनिर्माण प्रक्रिया में अन्य कच्ची सामग्री के साथ कैल्सिंड पेट्रोलियम कोक का उपयोग किया जाता है और इस प्रक्रिया में पिच संसेचन और पुनः सेकन को छोड़कर, यू एच पी इलैक्ट्रोड्स जैसी प्रक्रिया शामिल होती है । यह भी पाया गया है कि हाइ पावर (एच पी) इलैक्ट्रोड्स के विनिर्माण में एन पी जी विनिर्माण की सामान्य प्रक्रिया में अतिरिक्त पिच संसेचन कर रेगुलर ग्रेड के कैल्सिंग पेट्रोलियम कोक का भी उपयोग किया जाता है । इस अतिरिक्त प्रक्रिया से एन पी जी इलैक्ट्राड्स में धारा प्रवाहित करने की धारिता जैसी कतिपय संवर्धित/उन्नत गुण धर्म सम्मिलित हो जाते हैं । उपरोक्त को देखते हुए यू एच पी, हाइ पावर ग्रेड जैसे विचरणों के साथ एन पी जी समेत सभी ग्रेफाइट इलैक्ट्रोड्स वर्तमान जांच के क्षेत्र में आते हैं ।

ग्रेफाइट इलैक्ट्रोड्स भट्टियों में विद्युत चालक के रूप में कार्य करते हैं और इस्पात या अन्य सामग्री का उत्पादन करने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली स्क्रैप धातु अथवा अन्य सामग्री को गलाने के लिए पर्याप्त मात्रा में ताप पैदा करते हैं । ग्रेफाइट इलैक्ट्रोड्स द्वारा ताप उत्पन्न किया जाता है क्योंकि अति उच्च एम्पीयर में विद्युत इससे होकर गुजरती है और इलैक्ट्रोड्स तथा कच्ची सामग्री के बीच विद्युत चाप बना देती है । इलैक्ट्रोड्स की खपत साधारणतया उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान होती है । किसी अपेक्षित इलैक्ट्रोड्स का आकार भट्टी के आकार, इसके विद्युत ट्रांसफार्मर और भट्टी की संयत्र उत्पादकता पर निर्भर करता है । आकार विशिष्ट रूप से भिन्न भिन्न होता है जो व्यास में 75 एम एम से

लम्बाई में 2 फीट से 9 फीट और भार में 20 पौंड से 4800 पौंड के बीच होता है । इलैक्ट्रोड्स की खपत दर भट्टी की क्षमता और उत्पादता पर निर्भर होती है ।

ग्रेफाइट इलैक्ट्रोड्स सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की अनुसूची 1 के अध्याय 85 के अंतर्गत वर्गीकृत है । तथापि यह वर्गीकरण केवल सांकेतिक है तथा वर्तमान जांच के दायरे पर और शुल्क लगाने योग्य मद पर किसी भी तरह बाध्यकारी नहीं है ।

विचाराधीन उत्पाद का वर्णन वही रहता है जैसाकि प्रारंभिक जांच परिणामों में है ।

3. **जांच की शुरूआत**

निर्दिष्ट प्राधिकारी यह मानते हैं कि सिफारिश किए गए पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 की धारा 9क(5) के प्रावधान के अंतर्गत इस स्तर पर उचित होगी । भारतीय ग्रेफाइट विनिर्माता संघ ने यू एस ए, आस्ट्रिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, चीन जनवादी गणराज्य और बेल्जियम के मूल के अथवा वहां से निर्यातित ग्रेफाइट इलैक्ट्रोड्स पर अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख करते हुए अगले पांच वर्ष की अवधि के लिए पाटनरोधी शुल्क जारी रखने के लिए अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है कि शुल्क लगाना बंद कर देने से पाटन और क्षति जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है ।

4. **प्रक्रिया**

दिनांक 27 मार्च, 1998 की अधिसूचना संख्या एडीडी/1 डब्ल्यू/43 के द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा करने का निर्णय लेते हुए प्राधिकारी एततद्वारा इस बात की समीक्षा करने के लिए जांच शुरू करते हैं कि क्या यू एस ए, आस्ट्रिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन चीन जनवादी गणराज्य और बेल्जियम के मूल के अथवा वहां से निर्यातित ग्रेफाइट इलैक्ट्रोड्स के आयातों पर, पाटनरोधी शुल्क को समाप्त करने से सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन तथा संग्रहण एवं क्षति निर्धारण) नियमावली 1995 के अनुसार पाटन एवं क्षति के बने रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है ।

5. इस समीक्षा में दिनांक 27 मार्च 1998 की अधिसूचना संख्या एडीडी/1डब्ल्यू/43 के सभी पहलू शामिल हैं ।

6. वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि 1 अप्रैल 2001 से 31 दिसम्बर 2001 तक की है ।

7. **सूचना प्रस्तुत करना**

निर्यातक देशों की सरकारों को भारत स्थित उनके दूतावासों के जरिए, संबद्ध देशों के निर्यातकों, भारत में संबंधित समझे गए आयातकों एवं उपयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को अलग से लिखा जा रहा है कि वे संगत सूचना निर्धारित प्रपत्र में एवं निर्धारित ढंग से निम्नलिखित पते पर प्रस्तुत करें और अपने विचारों से अवगत कराएं-

निर्दिष्ट प्राधिकारी,
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय,
वाणिज्य विभाग,
उद्योग भवन,
नई दिल्ली-110011

अन्य कोई हितबद्ध पार्टी भी नीचे निर्धारित की गई समयावधि के भीतर निर्धारित प्रपत्र में और निर्धारित ढंग से जांच से संबंधित अनुरोध कर सकती है ।

8. **समय सीमाः**

वर्तमान समीक्षा से संबंधित कोई भी सूचना और सुनवाई के लिए कोई अनुरोध लिखित रूप में भेजा जाए जो उपरोक्त पते पर इस समीक्षा जांच की शुरूआत संबंधी अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से 40 दिनों के भीतर प्राधिकारी के पास पहुंच जानी चाहिए । यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त हुई सूचना अधूरी है, तो निर्दिष्ट प्राधिकारी उपरोक्त नियमों के अनुसार रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम कर सकते हैं ।

9. **सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण**

नियम 6(7) के अनुसार कोई भी हितबद्ध पार्टी, जो इस जांच में हिस्सा ले रही है उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकती है जिसमें अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय अंश रखे गए हैं ।

10. यदि कोई हितबद्ध पार्टी आवश्यक सूचना जुटाने से मना करती है या उचित समयावधि के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराती है अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डालती है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं ।

एल. वी. सप्तऋषि, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th May, 2002

INITIATION

Subject: - Initiation of Sunset Review regarding Anti-dumping duty imposed on Graphite Electrodes imports from USA, Austria, France, Germany, Italy, Spain, China P R and Belgium.

***

No. 28/1/2001-DGAD.— The Designated Authority having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Duty or Additional Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 thereof recommended imposition of provisional Anti-Dumping duty on imports of Graphite Electrodes from USA, Austria, France, Germany, Italy, Spain, China P R and Belgium falling under Chapter 85 of the Customs Tariff Act 1975 vide Gazette Notification No. ADD/IW/43 dated 9th June 1997 and definitive Anti-dumping duty vide Gazette Notification No. ADD/IW/43 dated 27th March 1998. The Government of India imposed provisional Anti Dumping Duty vide Notification No. 77/97-Cus dated 21.10.1997 which was confirmed by Notification No. 20/98-Cus dated 5.5.1998.

2. Product Under Consideration

The products covered under the scope of present investigation are Graphite Electrodes of the following types: -

Ultra High power grade Graphite Electrodes (referred to as UHP Electrodes)

Normal power grade Graphite Electrodes, including its variation, High Power Grade (referred to as NPG Electrodes)

The production process for manufacture of UHP Electrodes requires calcined petroleum coke (needle structure, popularly known as needle coke), coal tar pitch and petroleum pitch as primary raw materials. The process involves forming, baking, impregnating, rebaking, graphitising and machining. In the process of manufacture of NPG regular grade Electrodes, calcined petroleum coke is used alongwith other raw materials and the process involved is the same as of UHP Electrodes except pitch impregnation and rebaking. It is also observed that calcined petroleum coke of regular grade is also used to manufacture High Power (HP) Electrodes by undertaking additional pitch impregnation to the normal process of manufacturing NPG. This additional process imparts certain enhanced/improved properties like current carrying capacity to the NPG Electrodes.

In view of the above, all Graphite Electrodes including UHP, NPG alongwith its variations like high power grade are covered by the scope of the present investigation.

Graphite Electrodes act as conductors of electricity in furnace and generate sufficient heat to melt scrap metal or other material used to produce steel or other materials. Heat is generated by Graphite Electrodes as electricity at very high amperes passes through it and creates an electric arc between the Electrodes and the raw-material. The Electrodes are generally consumed in the course of the production. The size of an Electrode required will depend upon the size of the furnace, its electric transformer and plant productivity of the furnace. The size typically varies from 75 mm to 750 mm in diameter, 2 feet to 9 feet in length and weighs between 20 pounds to 4800 pounds. The rate of consumption of Electrode depends upon the efficiency and productivity of the furnace.

Graphite Electrode is classified under chapter 85 of Schedule 1 of the Customs Tariff Act, 1975. The classification is, however, indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation and on the item liable to duty.

The description of the product under consideration continues to be the same as in the earlier findings.

3. Initiation

The Designated Authority considers that the review of the Anti Dumping Duty recommended would be appropriate at this stage under the provision of Section 9A (5) of Customs Tariff (Amendment) Act 1995. Indian Graphite manufacturers Association has submitted a representation for continuance of Anti Dumping Duty on Graphite Electrodes originating in or exported from USA, Austria, France, Germany, Italy, Spain, China P R and Belgium for a further period of 5 years, inter-alia, stating that cessation of the duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

4. Procedure

Having decided to review the anti-dumping duties imposed on the basis of recommendations made vide notification ADD/1W/ 43 dated 27th March 1998, the Authority hereby initiates investigations to review whether the cessation of the duty on imports of Graphite Electrodes originating in or exported from USA, Austria, France, Germany, Italy, Spain, China P R and Belgium is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury in accordance with the Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment & Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995.

5. The review covers all aspects of Notification No. ADD/IW/43 dated 27th March 1998.

6. The period of investigation for the purpose of the present review is **1st April 2001 to 31st December 2001.**

7. Submission of Information: The governments of the exporting countries through their embassies in India, exporters in subject countries, the importers and users in India known to be concerned and the domestic industry are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the-

The Designated Authority
Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties
Department of Commerce
Udyog Bhawan
New Delhi-110011.

Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

8. Time Limit

Any information relating to the present review and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days from the date of publication of this initiation of the review investigation. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Designated Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules supra.

9. Inspection of Public File:

In terms of Rules 6(7), any interested party, participating in the investigation, may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

10. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

L. V. SAPTHARISHI, Designated Authority

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.